

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

मिसल संख्या - 165/2021

निर्णय दिनांक :- 4/4/2022

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. रामस्वरूप पुत्र देवा जाति गुर्जर निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0


-अप्रार्थी पक्ष-

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 314 खसरा नम्बर 3 रकबा 0.22 है0 ग्राम नयागांव गोठडा, खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 280 रकबा 1.49 है0 ग्राम हनुमानपुरा व खाता संख्या 159 खसरा नम्बर 279 रकबा 0.15 है0 ग्राम हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में अंकित खाता संख्या 314 खसरा नम्बर 3 रकबा 0.22 है0 ग्राम नयागांव गोठडा, खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 280 रकबा 1.49 है0 ग्राम हनुमानपुरा व खाता संख्या 159 खसरा नम्बर 279 रकबा 0.15 है0 ग्राम हनुमानपुरा की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है


(भारत भूषण गौयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली